भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 349 का उत्तर

रेलवे द्वारा मलिन बस्ती को हटाया जाना

349. सुश्री प्रणिती सुशील कुमार शिंदे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सोलापुर में 'गरीबी हटाओं मलिन बस्ती' संख्या 1 और 2 तथा अन्य मलिन बस्तियों में पिछले 40 से 50 वर्षों से रह रहे लोगों तथा सोलापुर नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही आवश्यक सेवाओं और उनसे वसूले गए करों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन दीर्घकालिक निवासियों को अचानक बेदखल किए जाने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कानूनी प्रावधान किए हैं या नीतियां बनाई है;

(ग) अतिक्रमण के नोटिस के कारण बड़े पैमाने पर बेघर होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय शुरू किए हैं कि इन नागरिकों को आवास का समाधान उपलब्ध कराए बिना जबरन विस्थापित न किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मलिन बस्तियों में रह रहे नागरिकों, जो दशकों से करों और उपयोगिता बिलों का भुगतान कर रहे हैं, को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में अचानक नोटिस जारी किए जाने की घटनाओं को रोका जा सके और स्थायी आजीविका के उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल ने क्षमता में वृद्धि करने के लिए, मल्टीट्रैकिंग, बडे पैमाने पर यार्ड रीमॉडलिंग, अनुरक्षण सुविधाओं आदि जैसे व्यापक अवसंरचना विस्तार संबंधी कार्य शुरू किए हैं। किसी भी अवसंरचना परियोजना के लिए बाधा रहित भूमि की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। कई स्थानों पर रेल भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है।

s.k

इस भूमि को खाली कराने के लिए, रेल प्रशासन द्वारा रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालो लोगों को बेदखली संबंधी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त अवसर दिया जाता है ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके।

इसके अलावा, विस्थापित जनता हेतु उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए रेलवे राज्य सरकार के साथ सहयोग करती है।

*****

s.k